(17)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर
शिविर भोपाल म.प्र.

हुसैन खॉ आत्मज मुन्नू खॉ (मृतक)
द्वारा वैधानिक वारिस

पुनर्विलोकन-4593/2018/होशंगाबाद/भू०रा०

1. सुगरा बी विधवा हुसैन खॉ
2. मंसूर खान आत्मज हुसैन खॉ
3. मंजूर खान आत्मज हुसैन
4. रियाज खान आत्मज हुसैन खॉ सभी निवासी मस्जिद मोहल्ला सिवनी मालवा तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
5. रूकसाना पत्नि अख्तर मंसूरी पुत्री हुसैन खॉ निवासी हिमाला टेलर्स प्रताप टाकीज के पास हरदा तहसील व जिला हरदा
6. रिहाना पत्नि गुल्लू खान पुत्री हुसैन खॉ निवासी फाईल वार्ड बंगला टप्पर हरदा तहसील व जिला हरदा
7. फरजाना पत्नि रफीक मंसूरी पुत्री हुसैन खॉ निवासी जुमेराती होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद . . . . आवेदक गण / पुनर्विलोकनकर्तागण

आवेदक अभिभाषक श्री डी. एस. गुर्जर द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 25/7/18

विरूद्ध

1. सिराज बी पुत्री शेख मुन्नू खॉ निवासी जेल रोड सिवनी मालवा तह0 सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद
2. साकरा बी पत्नि जमील अहमद पुत्री शेख मुन्नू खॉ निवासी ईदगाह मस्जिद के पास, डॉ0 साहू के पास, जीन मोहल्ला लक्कडगंज इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
3. जाकरा बी पत्नि रहमान खॉ पुत्री शेख मुन्नू खॉ निवासी छोटी बजरिया होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद
4. जहरा बी पत्नि हबीब खॉ पुत्री शेख मुन्नू खॉ निवासी छोटी बजरिया होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद
5. मुनीरा बी पत्नि हबीब खॉ, निवासी न्यास कॉलोनी इटारसी, तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
6. शेख अख्तर आ0 शेख मुन्नू निवासी जेल रोड सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद
7. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद. . . . . अनावेदक गण

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता आवेदक गण / पुनर्विलोकनकर्तागण न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर समक्ष मनोज गोयल अध्यक्ष प्रकरण क्रमांक निगरानी 2842– पीबीआर/18 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 से परिवेदित होकर यह पुनर्विलोकन याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :–

संक्षिप्त तथ्य

हुसैन खॉ आत्मज मुन्नू खॉ (मृतक) के आवेदक गण / पुनर्विलोकनकर्तागण के वैधानिक वारिस है, मृतक हुसैन खॉ आत्मज मुन्नू खॉ के द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय

H 52 2291 न

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 4593/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-8-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 2842-पीबीआर/13 का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12-12-2017 को आदेश पारित कर, प्रकरण कलेक्टर को गुण-दोष के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्या अवैधानिकता है, इस सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । चूंकि कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	